न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 729/2023

अनवान : –

1. शेरसिंह पुत्र नरसी राम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. नरसीराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. सन्दीप कुमार पुत्र नरसी राम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. प्रियंका पुत्री नरसीराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 22/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 102/102 की कुल 2.6750 हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 21.2080 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 28 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 29/29 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 61/57 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा पूर्णराम खातेदार काश्तकार थे उनकी फौतदगी के बाद वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 1 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्ध हो चुका है अतः उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी [illegible] कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी [illegible] अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 न्यायालय से घोषणा करवा[illegible] यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य पुरानी व नवीनतम जमांबदी, सदस्य प्रमाण आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 102/102 की कुल 2.6750 हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 21.2080 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 28 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 29/29 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 61/57 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं शजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 102/102 की कुल 2.6750 हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 21.2080 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 28 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 29/29 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 61/57 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:36 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 729/2023
अनवान : –

1. शेरसिंह पुत्र नरसी राम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. न्रसीराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. सन्दीप कुमार पुत्र नरसी राम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. प्रियंका पुत्री नरसीराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 729 सन 2023 निर्णय दिनांक...22/12/23...

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 102/102 की कुल 2.6750 हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 21.2080 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 28 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 29/29 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 61/57 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:36 IST
Reason: SelfAttested